राजस्थान सरकार

श्री हरिदेव जोशी

मुख्य मंत्री

का

बजट भाषण

1986-87

गुरुवार, 6 मार्च, 1986

श्रीमन्

आपकी अनुमति से, मैं वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. गत 2 जुलाई, 1985 को वर्ष 1985-86 का परिवर्तित बजट प्रस्तुत करते समय, इस बात की आशंका भी नहीं थी कि इस वर्ष हमें पुनः अकाल एवं सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ेगा तथा अकाल की काली छाया इस वर्ष पूर्ववर्ती वर्षों की अपेक्षा और भी अधिक सघन एवं विस्तृत होगी। आज लगभग सम्पूर्ण राजस्थान अकाल की चपेट में है। राज्य में 26 जिलों की 170 तहसीलों के अन्तर्गत आने वाले 26856 गांव अकाल की विभीषिका एवं सूखे से प्रभावित हैं।

3. इससे पहले कि मैं अकाल की स्थिति पर चर्चा करूं, मैं राज्य के आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में हमारी वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विश्लेषण करते हुए कुछ मूलभूत प्रश्न सदन के विचारार्थ रखने की अनुमति चाहता हूं तथा अपेक्षा करता हूं कि इन मुद्दों पर हमें आपका मार्गदर्शन मिलेगा। हो सकता है कि इस विषय में मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसमें से काफी कुछ रुचिकर न लगे, लेकिन इसमें से अधिकांश निर्विवाद रूप से कठोर सत्य है।

4. वर्ष 1985-86 के अनुमानों के अनुसार राज्य का समस्त राजस्व व्यय 1510.36 करोड़ रुपये था जिसमें व्यय के मुख्य-मुख्य

मद एवं कुल व्यय में उनका प्रतिशत निम्नानुसार है:-

	राशि (करोड़ रु. में)	प्रतिशत
1. वेतन एवं भत्ते	603.32	39.9
2. पेंशन	54.85	3.6
3. ब्याज की अदायगी	273.52	18.1
4. अनुदान व सहायता	262.63	17.4
5. रख-रखाव	71.37	4.7
6. अन्य खर्चे	244.67	16.3
योग	1510.36	100.0

5. राज्य सरकार के 4 लाख 2 हजार कर्मचारियों में से शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग एवं चिकित्सा विभाग में 2 लाख 44 हजार कर्मचारी कार्यरत है जो कुल कर्मचारियों का 60 प्रतिशत से भी अधिक है। इन विभागों पर वेतन एवं भत्तों का अनुमानित व्यय 367.34 करोड़ रुपये है। शिक्षा, चिकित्सा तथा कानून एवं व्यवस्था तो मूलभूत आवश्यकतायें हैं। अत: इनके व्यय में कोई कटौती करना संभव नहीं है। यही स्थिति पेंशन, सहायता एवं अनुदान, सड़कों, भवनों और सिंचाई साधनों के रख-रखाव पर होने वाले व्यय की है।

6. राज्य में वेतन, भत्ते तथा पेंशन पर होने वाले व्यय के सन्दर्भ में, मैंने कुछ पड़ौसी राज्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में जानकारी हासिल की है। राजस्थान में वर्ष 1983-84 में इन पर व्यय 44.2 प्रतिशत था जबकि उत्तर-प्रदेश में 28.19 प्रतिशत, गुजरात में 20.06 प्रतिशत तथा हरियाणा में 41.4 प्रतिशत था। इस व्यय के मदवार विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि राज्य द्वारा शिक्षा मद पर अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक व्यय किया जा रहा है क्योंकि वहां अधिकांश शिक्षण संस्थायें निजी क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है।

7. राज्य सरकार पर ऋण की देनदारियों का दायित्व वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं राज्य को केन्द्रीय वित्तीय सहायता सामान्यत: 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में मिलती है। वर्ष 1983-84 से वर्ष 1985-86 तक की अवधि में भारत सरकार से प्राप्त ऋणों और राज्य सरकार द्वारा मूलधन एवं ब्याज की केन्द्र सरकार को अदायगी की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	ऋण की प्राप्ति	ऋण की अदादगी			शुद्ध
		मूलधन	ब्याज	योग	
1983-84	242.82	90.32	72.64	162.96	(+)79.86
1984-85	220.11	138.89	102.20	241.09	(-)20.98
1985-86	269.11	161.86	116.35	278.21	(-) 9.10

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 1983-84 को छोड़कर भारत सरकार से शुद्ध प्राप्तियां इस मद में नकारात्मक रही हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में इस स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना दिखाई नहीं देती है।

8. अत: राजस्व व्यय में कोई विशेष कमी कर पाना संभव नहीं है, तथापि अनुत्पादक एवं अनावश्यक व्यय पर कड़ा नियंत्रण रखा जा रहा है।

9. योजना काल के लिये राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता गाडगिल फार्मूला के आधार पर प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कुछ सहायता केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत

भी मिलती है। इसके उपरान्त राज्यों को विकास के लिये स्वयं के वित्तीय साधन जुटाने पड़ते हैं। अतः किसी भी राज्य की योजना का आकार उसकी अपने स्वयं के संसाधन जुटाने की तत्परता एवं सामर्थ्य पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है।

10. वित्तीय संसाधन जुटाने के मुख्यतः तीन स्रोत हैं–पहला कर लगाना, दूसरा ऋण प्राप्त करना और तीसरा विनियोजित की गई पूंजी पर प्राप्तियां। सभी माननीय सदस्य जानते है कि हमारी संघीय व्यवस्था में राज्यों के लिये कर लगाने का दायरा बहुत सीमित है।

11. जहां तक ऋणों द्वारा संसाधन जुटाने का प्रश्न है, राज्यों को इसमें भी कोई विशेष स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि सार्वजनिक ऋण भारत सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। वैसे भी ऋण देयता के भार को देखते हुए जिसका मैं पूर्व में विवेचन कर चुका हूं, सार्वजनिक ऋण का क्षेत्र सीमित रहेगा।

12. रहा सवाल विनियोजित पूंजी से लाभ प्राप्त करने का। राज्य सरकार ने उपलब्ध पूंजो का एक बहुत बड़ा भाग विद्युत् एवं सिंचाई परियोजनाओं पर विनियोजित कर रखा है। इस समय विद्युत् मण्डल में राज्य सरकार की लगभग 700 करोड़ रुपये को पूंजी लगी हुई है, किन्तु राज्य सरकार को इस पूंजी निवेश पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज विद्युत् का प्रति यूनिट लागत 75 पैसे आता है किन्तु कृषि कार्यों के लिये 28 पैसे प्रति यूनिट से बेचा जाता है। इस प्रकार प्रति यूनिट विद्युत् मण्डल को 47 पैसे का घाटा होता है। यह निवेश राजस्थान की सम्पूर्ण जनता के त्याग से संभव हुआ है और इस त्याग में उन लोगों का योगदान भी सम्मिलित है जो आज इस सुविधा से वंचित हैं।

13. इसी प्रकार सिंचाई परियोजनाओं पर इस समय तक लगभग 1243.57 करोड रुपये की राशि व्यय की गई है। वर्ष 1984-85 में उनसे राजस्व प्राप्तियां 14.35 करोड़ रुपये की हो हुई जबकि उनके रख-रखाव एवं परिचालन पर ही 35.90 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। आज स्थिति यह है कि लगाई हुई पूंजी पर लाभांश तो दूर, परियोजनाओं के रख-रखाव का खर्च तक नहीं निकल पाता है।

14. जल प्रदाय योजनाओं के सम्बन्ध में भी स्थिति कोई भिन्न नहीं है। इन योजनाओं पर अब तक 452.50 करोड रुपये का व्यय किया गया है। वर्ष 1985-86 में राजस्व प्राप्तियां 31.88 करोड़ रुपये की आंकी गई है, जबकि इनके रख-रखाव व परिचालन पर 53.47 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है।

15. आज हम नियोजित आर्थिक विकास के एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां एक ओर साधन-सम्पन्न हैं और दूसरी ओर साधन-विहीन। हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या विकास के पहले चरण के फलों का उपभोग करने वालों का पिछड़े और प्रतीक्षारत वर्गों के प्रति कोई नैतिक कर्त्तव्य एवं दायित्व है अथवा नहीं ? क्या हमारा यह कर्त्तव्य नहीं कि विकास में लगी पूंजी से न्यायोचित लाभांश प्राप्त करके हम उसे पुनर्नियोजित करें और विकास के दायरे को बढ़ाकर जरूरतमन्द तबके के और प्रतीक्षा करने वालों तक पहुंचायें ? नियोजित आर्थिक विकास की जनी सुविधायें भोगने वाले उन सुविधाओं की सही आर्थिक और सामयिक कीमत चुकाने से, और हम उनसे वह कीमत वसूलने के कठिन विकल्प के वरण से कब तक कतराते रहेंगे ?

16. यदि विभिन्न परियोजनाओं पर विनियोजित पूंजी से लाभ मिलना प्रारंभ हो जाये तो उसे पुनः विनियोजित कर विकास की प्रक्रिया को और भी गतिशील बनाया जा सकता है तथा अधिक से अधिक लोगों को इन सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है।

17. इन सबके पीछे मेरा आशय यह है कि माननीय सदस्य सही परिप्रेक्ष्य के तथ्यों के आधार पर सभी पहलुओं पर चिंतन कर सदन के माध्यम से हमें सलाह एवं मार्गदर्शन देवें।

18. इसी पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में हमारा यह प्रयास रहा है कि एक ओर हम राज्य के अपने स्वयं के संसाधनों को बढ़ावें और दूसरी ओर भारत सरकार से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करें ताकि विकास की गति को और बढ़ाया जा सके ।

19. मुझे आपको सूचित करते हुए हर्ष होता है कि इन दोनों दिशाओं में हमें सफलता मिली है । चालू वित्तीय वर्ष में हमने सदन की अनुमति से, लगभग 100 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये हैं । भारत सरकार से अतिरिक्त साधनों के प्राप्त करने में भी हमें बहुत हद तक सफलता मिली है । इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करने से पूर्व मैं अकाल की स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सदन को जानकारी देना उपयुक्त समझता हूं ।

अकाल राहत :

20. अकाल की भीषण स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकार ने अक्टूबर, 1985 में ही केन्द्र सरकार द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने की अपेक्षा में अकाल राहत कार्य प्रारंभ कर दिये थे । दिसम्बर, 1985 के अन्त तक 61 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराये गये । जनवरी और फरवरी, 1986 में क्रमश: औसतन 2.5 लाख और 3.5 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है । मार्च माह में 6 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

21. पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिये 100 टैंकर नये खरीदे जा रहे हैं तथा जलदाय विभाग को जल प्रदाय योजनाओं को शीघ्र पूरी करने के लिये 35.35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है । पशुओं के लिये पीने के पानी एवं चारे की भी समुचित व्यवस्था की गई है ।

22. इस बार जो राहत कार्य प्रारंभ किये गये हैं, उनकी दो विशेषतायें हैं । पहली विशेषता यह है कि मजदूरी का भुगतान अनाज के रूप में किया जा रहा है तथा भारत सरकार से जो सहायता मिल रही है उसे सामग्री के अंश भाग के रूप में व्यय किया जा रहा है । परिणामस्वरूप भारत सरकार से मजदूरी एवं सामग्री दोनों भागों के लिये स्वीकृत 13.31 करोड़ रुपये की राशि केवल सामग्री अंश भाग में व्यय करने के लिये हमें उपलब्ध है । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात क्रमश: 60 एवं 40 है । मजदूरी का भुगतान अनाज के रूप में हो रहा है और उसके लिये मार्च, 1986 तक भारत सरकार ने 22.50 करोड़ रुपये का अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी है । इस प्रकार 13.31 करोड़ रुपये की स्वीकृति के स्थान पर हम 35.81 करोड़ रुपये के कार्य कर पायेंगे और 83 लाख मानव दिवस रोजगार के स्थान पर 223 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध करा पायेंगे । दूसरी विशेषता यह है कि स्थाई महत्व एवं उत्पादक प्रकृति के योजनागत सिंचाई, भू-संरक्षण, वन एवं सड़क निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता दी गई है ।

23. अभी तक विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के लिये 125 करोड़ रुपये के राहत कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई है । 65 करोड़ रुपये की कुल लागत के 1800 सिंचाई कार्यों के पूरे होने पर 25,000 अतिरिक्त हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी । इसी प्रकार 45 करोड़ रुपये की कुल लागत वाले 548 सड़क निर्माण कार्यों के पूरा होने पर लगभग 4000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो सकेगा । 8 करोड़ रुपये की कुल लागत वाले विभिन्न भू-संरक्षण कार्यों के माध्यम से 18,000 हैक्टेयर भूमि में भूमि सुधार के कार्य किये जायेंगे । वनों के विस्तार एवं विकास कार्यों के लिये 4.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं तथा 50,000

हैक्टेयर भूमि में एक करोड़ पौधे लगाये जाने का कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया है।

24. राहत कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे हैं। रोजगार देने में भूमिहीन श्रमिकों, लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को प्राथमिकता दी गई है।

25. इन स्थाई कार्यों से रोजगार उपलब्ध होने के साथ-साथ, राज्य के योजनाबद्ध आर्थिक विकास को भी गति मिल रही है एवं स्थाई परिसम्पत्तियों का निर्माण हो रहा है।

26. उपरोक्त उद्देश्य को लेकर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भी व्यापक निर्माण कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि पंचायतों एवं पंचायत समितियों को प्रति व्यक्ति अनुदान राशि में से 5.24 करोड़ रुपये, शिक्षा विभाग से शाला भवनों के लिये प्रावधान 74 लाख रुपये तथा भमि हीन श्रमिक रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शाला भवनों के निर्माण की परियोजना के अन्तर्गत 5.31 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। जनजाति विकास विभाग द्वारा भी जनजाति क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये 61 लाख रुपये की राशि पचायत समितियों को उपलब्ध कराई गई है।

27. इस कार्यक्रम में लक्ष्य यह रखा गया है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम एक कार्य प्रारम्भ किया जाय। अब तक 6740 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 4000 से ऊपर कार्य फरवरी, 1986 तक प्रारम्भ किये जा चुके हैं। 84,000 से ऊपर श्रमिक कार्यरत हैं तथा 16 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित किये गये हैं।

28. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों की अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपये से ऊपर है। इसमें 3500 से अधिक कार्य नये शाला भवन अथवा पुराने शाला भवनों के परिवर्धन से सम्बन्धित हैं। अन्य कार्य पटवार घर, पंचायत घर, औषधालय भवन, पंचायत की दुकानें, पेयजल कूप निर्माण, कुओं को गहरा कराना, खरंजा नाली एवं सम्पर्क सड़कों का निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण तथा तालाब/नाड़ी की मरम्मत एवं गहरा कराने आदि कार्य सम्मिलित हैं। यह उल्लेखनीय है कि पंचायत एवं पंचायत समितियों के माध्यम से किये जा रहे ये कार्य सामान्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा अकाल राहत कार्यों के अतिरिक्त हैं।

29. केन्द्र सरकार द्वारा अक्टूबर, 1985 से मार्च, 1986 तक 40.42 करोड़ रुपये तथा अप्रेल, 1986 से जुलाई, 1986 तक 36.59 करोड़ रुपये की सीमा राहत कार्यों के लिए निश्चित की गई है। यह व्यय सीमा हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए कम है। राहत कार्यों के लिए इस निर्धारित व्यय सीमा को बढ़ाने के लिए हम केन्द्र सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं तथा हमें पूर्ण आशा है कि भारत सरकार से हमारी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।

30. अब मैं उन कार्यक्रमों की चर्चा करूंगा जिनके तहत राजस्थान को भारत सरकार से अतिरिक्त सहायता प्राप्त होने की आशा है।

मरु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम:

31. वर्ष 1985–86 के परिवर्तित बजट पर भाषण में मैंने यह कहा था कि हम यह चाहते हैं कि भारत सरकार मरु विकास के लिए व्यय भार के सम्बन्ध में वही नीति अपनाये, जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिये लागू है। इस समय 11 मरुस्थलीय जिलों के 85 विकास खण्डों में यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है और इसका 50 प्रतिशत व्यय भार भारत सरकार द्वारा वहन होता है। इस विषय पर मैंने अगस्त, 1985 में भारत सरकार एवं योजना

आयोग से विस्तार से चर्चा की थी। हमारे निरन्तर प्रयास सफल हुए हैं और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि अब इस कार्यक्रम का शत-प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार द्वारा ही वहन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के लिये भारत सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में 244 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और उसमें से राजस्थान को आने वाले 4 वर्षों में लगभग 180 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है।

अरावली क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम :

32. वनों की कमी एवं भूमि कटाव आदि के कारण अरावली श्रृंखलायें मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने के लिये प्राकृतिक अवरोध के रूप में समर्थ नहीं रही है। अरावली को पुनः सम्पन्न बनाने तथा प्राकृतिक सन्तुलन बनाये रखने की अत्यधिक आवश्यकता है। राजस्थान के मौजूदा वित्तीय संसाधनों को देखते हुए हम इसके विकास के लिये पूरे साधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् एवं योजना आयोग के समक्ष हमने इस विषय को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया तथा हमारा आग्रह था कि अरावली का विकास भारत सरकार के पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की योजना के अन्तर्गत किया जाये जिसमें 90 प्रतिशत व्यय भार भारत सरकार वहन करती है। मुझे यह सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष होता है कि योजना आयोग ने इसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है तथा आशा है कि राजस्थान के बहुत सारे पहाड़ी इलाकों के विकास कार्यक्रम इसके अन्तर्गत हो सकेंगे।

दस्यु प्रभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम :

33. दस्यु प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों में बीहड़ सुधार, सड़कों और पुलों के निर्माण एवं गांवों में विद्युतीकरण सम्मिलित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में भारत सरकार से 50 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है।

सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम :

34. विभिन्न राज्यों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने इसके लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक विशेष प्रोग्राम क्रियान्वित करने का निश्चय किया है जिसके लिये उन्होंने 200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। राजस्थान को भी इसमें से कुछ राशि प्राप्त होने की आशा है जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी और इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास तीव्रगति से हो सकेगा।

35. उपरोक्त वर्णित योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता से राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्र अतिरिक्त रूप से लाभान्वित होंगे।

आर्थिक समीक्षा :

36. माननीय सदस्यों को आर्थिक समीक्षा पृथक से वितरित की जा रही है, जिसमें राज्य की अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति एवं विकास तथा तत्सम्बन्धी आर्थिक सूचकांक दर्शाये गये हैं।

37. गत पांच वर्षों में एक वर्ष को छोड़कर प्रायः सूखे की स्थिति बनी रही तथा इस वर्ष की स्थिति तो पूर्ववर्ती वर्षों से भी ज्यादा विषम है। किन्तु योजनाबद्ध विकास के कारण राज्य के बुनियादी आर्थिक ढांचे का जो विकास हुआ है तथा कृषि, उद्योग, विद्युत् एवं सिंचाई के क्षेत्र में जो पूंजी निवेश कर आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं, उनके फलस्वरूप अर्थ व्यवस्था में कुल मिलाकर निरन्तर सुधार की प्रवृत्ति बनी रही है। वर्ष 1980-81 में राज्य की आय प्रचलित कीमतों पर 4121 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 1984-85 में बढ़कर 6954 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है, तथा प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर

1220 रुपये से बढ़कर 1838 रुपये हो गई है। इसी अवधि में खाद्यान्नों का उत्पादन 64 लाख टन से बढ़कर 78 लाख टन हो गया है। वर्ष 1980-81 में विद्युत् की प्रस्थापित क्षमता 1201 मेगावाट थी जो वर्ष 1985-86 में बढ़कर 1803 मेगावाट हो गई है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी आर्थिक विकास एवं प्रगति का क्रम निरन्तर बना हुआ है। जाड़े में हुई वर्षा से रबी की फसल अच्छी होने के कुछ आसार बन गये हैं तथा मैं आशा करता हूं कि आगामी वर्ष राज्य के लिये खुशहाली लेकर आयेगा।

1986-87 का योजना व्यय :

38. मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष होता है कि योजना आयोग से विचार-विमर्श करने के पश्चात् राज्य की वर्ष 1986-87 की योजना का आकार 525 करोड़ रुपये रखा गया है जो वर्ष 1985-86 की 430 करोड़ रुपये की योजना से 95 करोड़ रुपये अधिक है। यह बढ़ोतरी 22 प्रतिशत से भी अधिक है। गत कई वर्षों की तुलना में यह बढ़ोतरी सबसे अधिक रही है। पिछले तीन वर्षों में (1983-84 से 1885-86 तक) योजना का आकार क्रमशः 416, 430 तथा पुनः 430 करोड़ रुपये रहा है।

39. वर्ष 1986-87 की वार्षिक योजना में मदवार प्रावधान एवं कुल योजना व्यय में उसका प्रतिशत निम्न प्रकार प्रस्तावित है:-

क्र. सं.	मद	राशि (करोड़ रुपयों में)	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	विद्युत्	180.35	34.36
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	125.00	23.81
3.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	100.44	19.13
4.	ग्रामीण विकास	33.57	6.39
5.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रम	27.00	5.14
6.	उद्योग एवं खनिज	24.50	4.67
7.	परिवहन एवं संचार	22.04	4.20
8.	सहकारिता	7.65	1.46
9.	अन्य सेवायें	4.45	0.84
	योग	525.00	100.00

40. योजना व्यय के वित्त पोषण के लिये 226.08 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी। शेष 298.92 करोड़ रुपये की राशि मुख्यतः राज्य के संसाधनों से उपलब्ध करनी है।

41. आठवें वित्त आयोग द्वारा पूंजीगत कार्यों के लिये दी गई सहायता (9.88 करोड़ रुपये) तथा सीमावर्ती एवं सामरिक महत्व की सड़कों पर होने वाले व्यय (5.80 करोड़ रुपये) भी योजना व्यय का ही अंश है। वर्ष 1986-87 में राहत कार्यों के लिये 34.80 करोड़ रुपये की योजना व्यय की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। इन सभी को योजना व्यय में शामिल करने पर 1986-87 की वार्षिक योजना का आकार 575.48 करोड़ रुपये हो जाता है।

मुख्य उपलब्धियां एवं भावी कार्यक्रम :

42. महामहिम राज्यपाल महोदय ने 20 जनवरी, 1986 को इस सदन को सम्बोधित अपने अभिभाषण में विभिन्न क्षेत्रों में हमारी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया था। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विभाग भी अपने प्रशासनिक प्रतिवेदनों में उनकी गतिविधियों, उपलब्धियों एवं भावी कार्यक्रमों का विस्तार से उल्लेख कर रहे हैं। अतः मैं संक्षेप में ही चालू वित्त वर्ष की उपलब्धियों एवं आगामी वर्ष के कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं।

विद्युत :

43. विद्युत् आर्थिक विकास का मूलभूत आधार है। राजस्थान के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण विद्युत् की मांग और आपूर्ति में लगातार अन्तर बने रहना है। अतः इसकी महत्ता को देखते हुए राज्य की सातवी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 927.48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कुल योजना व्यय का 30.9 प्रतिशत है। वर्ष 1986-87 में 180.35 करोड़ रुपये विद्युत् उत्पादन एवं वितरण पर व्यय करना प्रस्तावित है जो वर्ष 1986-87 की कुल वार्षिक योजना का 34.36 प्रतिशत है।

44. माननीय सदस्य जानते ही हैं कि कोटा थर्मल, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और हाल ही में चालू की गई माही हाइडल प्रोजेक्ट्स को छोड़कर, राजस्थान के अपने विद्युत् उत्पादन के साधन नहीं हैं। राजस्थान में स्थित अटोमिक पावर स्टेशन भली प्रकार कार्य नहीं कर रहा है और विद्युत् आपूर्ति के लिये यह स्रोत भरोसे का नहीं है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य में विद्युत् उत्पादन पर अधिक से अधिक धनराशि का विनियोजन किया जावे, ताकि आगे आने वाले वर्षों में विद्युत् की कमी नहीं रहे। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1986-87 में विद्युत् मद के लिये निर्धारित 180.35 करोड़ रुपये की राशि में से विद्युत् उत्पादन के लिये माही जल विद्युत् परियोजना पर 29.08 करोड़ रुपये, कोटा तापीय विद्युत् घर पर 85.17 करोड़ रुपये, अनूपगढ़ पन बिजली एवं अन्य लघु बिजली योजनाओं पर 5.03 करोड़ रुपये, पलाना लिग्नाइट पर एक करोड़ रुपये तथा रामगढ़ (जैसलमेर) में गैस आधारित तापीय विद्युत् गृह परियोजना पर 25 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

45. मुझे यह कहते हुए खुशी है कि वर्ष 1985-86 में माही पन-विद्युत् परियोजना की प्रथम चरण की 25-25 मेगावाट की दो इकाइयों ने फरवरी, 1986 से बिजली उत्पादन करना प्रारम्भ कर दिया है। इस प्रकार राजस्थान में विद्युत् उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता 1753 मेगावाट से बढ़कर अब 1803 मेगावाट हो गई है। इस वर्ष विद्युत् उपलब्धि गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक रही है तथा जनवरी, 1986 तक 7209 कुओं का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्ष 1986-87 में 1000 गांवों का विद्युतीकरण एवं 10,000 कुओं को बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है।

46. कोटा के पास अन्ता में 425 मेगावाट का गैस आधारित तापीय विद्युत् घर की स्थापना केन्द्रीय क्षेत्र में प्रस्तावित है। आशा है इससे उत्पादित समस्त बिजली राजस्थान को ही उपलब्ध हो सकेगी।

47. पलाना लिग्नाइट योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। इस परियोजना हेतु कई देशों से दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये बातचीत चल रही है।

सिंचाई सुविधायें :

48. आर्थिक विकास में दूसरी मूलभूत आवश्यकता सिंचाई साधनों के विकास एवं विस्तार की है। इस मद में सातवीं पंचवर्षीय योजना में 681.07 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कुल योजना व्यय का 22.7 प्रतिशत है। वर्ष 1986-87 में 125 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष की कुल योजना का 23.81 प्रतिशत है। इससे राज्य में 64,500 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई क्षमता सृजित हो सकेगी।

कृषि :

49. इस वर्ष सूखे के कारण, खरीफ में होने वाली अधिकांश फसलें नष्ट हो गई हैं, किन्तु गत महीनों में कुछ वर्षा होने के कारण रबी फसल अपेक्षाकृत बेहतर होने की आशा है।

50. राजस्थान तिलहन उत्पादन में अब प्रमुख राज्यों में से एक हो गया है। पहले सरसों कुछ ही जिलों–अलवर, भरतपुर, जयपुर तथा श्रीगंगानगर में पैदा होती थी लेकिन अब कृषि विस्तार कार्यक्रमों के फलस्वरूप जालौर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी जिलों में भी सरसों की अच्छी फसल होने लगी है। गत वर्ष उत्पादन में वृद्धि होने के कारण, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ ने 65 हजार मैट्रिक टन सरसों की समर्थित मूल्य पर खरीददारी की थी।

51. वर्ष 1986-87 में कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रमों पर 27 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान प्रस्तावित है। ऐसी आशा है कि आगामी वर्ष में 180 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हो सकेगी। फलस्वरूप खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 94 लाख टन, तिलहन का 13 लाख टन, गन्ने का 18.50 लाख टन एवं कपास की 6.20 लाख गांठें होने का अनुमान है। चालू रबी के लिये 1 लाख 50 हजार मैट्रिक टन खाद का उपयोग अनुमानित है।

52. भारत सरकार द्वारा प्रसारित फसल बीमा योजना को राज्य सरकार ने रबी फसल, 1985-86 में लागू किया है। यह योजना घोषित क्षेत्रों में गेहूं, चना व सरसों पर लागू है। लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा बीमा प्रीमियम आधी दर पर देय है, शेष राशि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार बराबर हिस्से में अनुदान के रूप में देगी।

कृषि विपणन :

53. वर्तमान में राज्य में 136 नियंत्रित मण्डी समितियां कार्य कर रही हैं। इस वर्ष प्रशासन में चुस्ती लाने एवं राजस्व प्राप्ति में हानि को रोकने के लिये काफी प्रभावी कदम उठाये गये हैं जिसके फलस्वरूप कृषि विपणन बोर्ड की आय 15.82 करोड़ रुपये से बढ़कर 18 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। विभिन्न मण्डियों द्वारा इस वर्ष 400 किलो मीटर लम्बी सड़कें बनाई जा चुकी हैं तथा लगभग 200 किलो मीटर लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है।

पशुपालन एवं डेयरी :

54. राजस्थान में पशुपालन एवं डेयरी, कृषि व्यवसाय का पूरक मात्र ही नहीं वरन् भौगोलिक परिस्थिति के कारण जनता के एक बहुत बड़े भाग के जीवन-यापन का भी प्रमुख साधन है। राज्य में राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा एक महत्वाकांक्षी डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारिता के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। फेडरेशन द्वारा इन दिनों 8.25 लाख लीटर दुग्ध प्रति दिन संकलित किया जा रहा है जिसमें से 3.20 लाख लीटर प्रति दिन देहली भेजा जाता है तथा लगभग एक लाख लीटर प्रति दिन शहरों की मांग की आपूर्ति के काम में आता है। शेष दुग्ध से विभिन्न दुग्ध पदार्थ, यथा-घी, पनीर, सरस पेय, सुगन्धित दुग्ध, छाछ लस्सी आदि तैयार किये जाते हैं। डेयरी फेडरेशन में घाटा होने के बावजूद हमने दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध का उचित मूल्य दिलाने के लिये दुग्ध की क्रय दरों में अभी 10 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है। आज राजस्थान में दुग्ध उत्पादकों को दी जाने वाली दूध की दरें सम्पूर्ण उत्तरी भारत में सर्वाधिक हैं।

55. वर्ष 1985-86 में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा बन्द पड़ी हुई रानीवाड़ा में स्थित प्राइवेट डेयरी को राष्ट्रीय डेयरी विकास मण्डल के माध्यम से बातचीत करके 2.78 करोड़ रुपये की लागत पर अधिग्रहण किया है तथा यह केन्द्र चालू भी हो गया है।

56. दुग्ध उत्पादकों को उचित दर पर सन्तुलित पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में 5 पशु आहार संयंत्र कार्यरत हैं। इस वर्ष अब तक 33,400 मैट्रिक टन पशु आहार का वितरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 52 चल चिकित्सा इकाईयां एवं 19 आपात चिकित्सा इकाईयां कार्यरत हैं।

57. वर्ष 1986-87 में पशुपालन के विकास पर 4.30 करोड़ रुपये एवं डेयरी विकास पर 2.20 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। राज्य के सभी पशु चिकित्सालयों में रोग निदान (diagnosis) की सुविधा प्रदान करने के लिये आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इस अवधि में 600 नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित करने का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त 2 नये दुग्ध संयंत्र तथा तीन अवशीतन केन्द्र बनाये जायेंगे। पशु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 75,000 टन पशु आहार वितरित किया जायेगा।

सहकारिता :

58. वर्ष 1986-87 में सहकारी क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम एवं परियोजनाओं पर 7.65 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य है। राज्य में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अन्तर्गत कोटा में सोयाबीन प्रोजेक्ट एवं श्रीगंगानगर में एकीकृत कपास विकास योजना स्वीकृत की गई है। सोयाबीन प्रोजेक्ट राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय संघ के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा तथा इसमें अनुमानित 27.57 करोड़ रुपये की राशि विनियोजित की जायेगी। एकीकृत कपास विकास की योजना के अन्तर्गत 2 काटन एवं जिनिंग प्रोसेसिंग इकाईयां, एक स्पिनिंग मिल तथा एक तेल मिल स्थापित की जायेगी। इन इकाईयों, की स्थापना में 48.45 करोड़ रुपये की राशि विनियोजित की जायेगी। इसके अतिरिक्त सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में राज्य में सरसों के आधार पर 6 तेल मिलें जालौर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर तथा नागौर में लगाने का प्रावधान किया गया है।

59. विश्व बैंक की सहायता से एक गोदाम निर्माण परियोजना सहकारी क्षेत्र में भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है। वर्ष 1986-87 में इस परियोजना के अन्तर्गत 298 गोदामों जिनकी क्षमता 22,750 मैट्रिक टन होगी, के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

60. वर्ष 1986-87 में 125 करोड़ रुपये के अल्पावधि ऋण, 12 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋण तथा 25 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण सहकारी क्षेत्र में वितरण करने का लक्ष्य है।

बीस सूत्री कार्यक्रम :

61. बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में जनवरी, 1986 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, आवासीय भू-खण्ड आवंटन, गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम, वृक्षारोपण, आई. सी. डी. एस. खण्ड तथा उचित मूल्य की दुकानों के वार्षिक लक्ष्य पूरे कर लिए गये हैं, तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, बन्धक श्रमिकों का पुनर्वास, अनुसूचित जनजाति परिवारों को सहायता तथा लघु उद्योगों की स्थापना कार्यक्रम में वार्षिक लक्ष्यों की 75 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि की जा चुकी है। हमें पूर्ण आशा है कि हम इस वर्ष भी बीस सूत्री कार्यक्रम में सभी सूत्रों के लक्ष्यों की प्राप्ति अर्जित कर लेंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :

62. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराकर वहां के आधारभूत आर्थिक ढांचे को मजबूत करने तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के उद्देश्य से लागू किया गया है। वर्ष 1985-86 के बजट अनुमानों में इस कार्यक्रम के लिए 15.5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 5.5 करोड़ रुपये था। हमारे प्रयासों से भारत सरकार ने अब तक 5.5 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त उपलब्ध कराई है जिससे कुल प्रावधान अब 21 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने 48,000 मैट्रिक टन खाद्यान्न इस योजना के अन्तर्गत आवंटित किया है जिसका मूल्य 7.20 करोड़ रुपये है। जनवरी, 1986 तक 45 लाख मानव दिवस लक्ष्य के विरुद्ध 105.22 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित किया जा चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी, 1986 के अन्त तक 10,699 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं

जिनमें से 3195 कार्य पूर्ण हो चुके हैं । इन कार्यों में स्कूल भवन, पंचायत-घर, औषधालय-भवन, पेय-जल कूप तालाब, सड़कें तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य शामिल हैं ।

63. वर्ष 1986-87 के लिये 20.32 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जिसके द्वारा 81 लाख मानव दिवस सृजित किये जाने का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 39,200 मैट्रिक टन खाद्यान्न भी आवंटित करने का प्रावधान रखा है । यह आवंटन मजदूरी का 40 प्रतिशत भाग खाद्यान के रूप में देने की भारत सरकार की नीति के अनुरूप है । जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है राज्य सरकार मजदूरी का शत प्रतिशत भुगतान खाद्यान्न के रूप में कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को कार्य दिया जा सके, इसलिये हम भारत सरकार से एक लाख मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन करने का अनुरोध करेंगे । हमें पूर्ण आशा है कि यह हमें मिल जायेगा ।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम :

64. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसरों का इस प्रकार से विस्तार करना है कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिवस के लिये रोजगार मिल सके । वर्ष 1985-86 में केन्द्र सरकार से 9.31 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा इस वर्ष 43 लाख मानव दिवस रोजगार का लक्ष्य रखा गया है । केन्द्र सरकार से इस वर्ष 48 हजार मैट्रिक टन खाद्यान्न नवम्बर, 1985 में प्राप्त हुआ है तथा अब कार्य के बदले अनाज दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवास गृह हेतु भी 1985-86 एवं 1986-87 में 3.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है । वर्ष 1986-87 के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 19.65 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त करीब 40,000 टन गेहूं भी भारत सरकार उपलब्ध करायेगी ।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम :

65. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति का लाभ समाज के गरीब तबके तक पहुंचाने की दृष्टि से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । वर्ष 1986-87 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 24.88 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जिससे लगभग 82,000 नये परिवार तथा 35,000 पुराने परिवार लाभान्वित होंगे ।

वन :

66. वृक्षारोपण के कार्य में अधिकाधिक जन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ही राज्य में विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना आरंभ की गई है । इस परियोजना के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में 35 करोड़ रुपये व्यय किये जाकर 36,500 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा 1200 लाख पौधों का कृषकों को निःशुल्क वितरण किया जायेगा । चालू वित्तीय वर्ष में इस परियोजना के अन्तर्गत 300 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है तथा 1986 वर्षा ऋतु के लिये 6,360 हैक्टेयर में वृक्षारोपण सम्पादित करने के लिये अग्रिम कार्य किया जा रहा है तथा कृषकों एवं जन साधारण को वितरण करने के लिये 275 लाख पौधे पौध-शालाओं में तैयार किये जा रहे हैं ।

67. वर्ष 1986-87 में 11 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है तथा 250 नई पौधशालाएं स्थापित की जायेंगी । वर्ष 1986-87 के लिये 8.51 करोड़ रुपये का योजना व्यय प्रस्तावित है ।

68. संस्थागत वित्तीय साधनों से वृक्षारोपण करने की दृष्टि से वन विकास निगम की स्थापना की गई है । राज्य में बंजर भूमि के विकास हेतु 42 करोड़ रुपये की योजना बनाकर केन्द्रीय सरकार

को भेजी गई है जिसके अधीन दो वर्षों में दो लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव है।

शिक्षा :

69. इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान ढ़ांचे को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास जारी रहेगा व इसी के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में शैक्षणिक विकास की आवश्यकता को देखते हुए नये कार्यक्रम भी क्रियान्वित किये जायेंगे। वर्ष 1986-87 में राज्य में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए एक हजार अतिरिक्त तृतीय वेतन शृंखला के अध्यापकों के पद सृजित करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 937 और अध्यापकों के पद सृजित किये जाकर वर्तमान 937 एक-अध्यापकीय शालाओं को दो-अध्यापकीय शालाओं में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1984-85 में क्रमोन्नत 1550 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 2325 अध्यापकों के नये पद भी सृजित करने का प्रस्ताव है। साथ ही 500 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाना व 200 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर तक क्रमोन्नत एवं 50 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है।

70. वर्ष 1986-87 में देश के अन्य राज्यों की तरह, राजस्थान में भी 10+2 की योजना राज्य के सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से शुरू किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100 नये विषय/वर्ग भी खोले जाना प्रस्तावित है।

71. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में दो नये कालेज उन दो जिलों में खोले जाने का प्रस्ताव है जहां जन सहयोग से भवन उपलब्ध हो सकेंगे तथा क्षेत्रीय दृष्टि से भी इस सुविधा की आवश्यकता होगी। स्नातकोत्तर कालेजों में कला/विज्ञान/वाणिज्य वर्गों में 15 नये विषय/वर्ग खोले जाना प्रस्तावित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

72. लोक कल्याण में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है। वर्ष 1985-86 में 10 ग्रामीण डिस्पेंसरियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित करने के प्रावधान के स्थान पर 50 डिस्पेंसरियों को परिवर्तित किया गया एवं 500 नये उप केन्द्र खोले गये। नर्सों एवं कम्पाउन्डरों की कमी को दूर करने के लिए 9 ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये। अब प्रत्येक जिले में इस प्रकार का एक प्रशिक्षण केन्द्र हो गया है। एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में कच्ची बस्तियों एवं स्लम्स में मातृ एवं शिशु कल्याण की सेवायें प्रारम्भ की गई हैं। कुछ चुने हुए स्थानों पर शत-प्रतिशत बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को रोग निरोधक टीके लगाने का विशेष अभियान नवम्बर, 1985 से प्रारंभ किया गया है।

73. राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजों में अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं। जयपुर में प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी में पोस्ट डॉक्टोरल एम. सी. एच. का शिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है। न्यूरोलोजी, कार्डियोलोजी व नेफरोलोजी में विशिष्टतायें प्रारम्भ कर दी गई हैं। जोधपुर में हड्डियों की चिकित्सा क्षेत्र में 50 नई शय्याओं की वृद्धि की गई है एवं स्पाइनल सर्जरी की सुविधा भी प्रदान कर दी गई है। अजमेर, बीकानेर मेडिकल कालेजों में डायलेसिस यूनिट की स्थापना हो गई है। उदयपुर में कैंसर इलाज हेतु कोबाल्ट यूनिट की स्थापना का कार्य चालू कर दिया गया है।

74. राज्य में चार सेटेलाइट हास्पिटल (जोधपुर में एक, उदयपुर में एक व जयपुर में दो) वर्ष 1984-85 में स्वीकृत किये गये थे, जो इस वर्ष पूरी तौर से चालू कर दिये गये हैं। इन अस्पतालों

में पचास शय्याओं का प्रावधान है एवं सभी प्रकार के विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है।

75. वर्ष 1986-87 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर 18.38 करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत 50 ग्रामीण डिस्पेंसरियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित करने एवं 50 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने प्रस्तावित हैं। 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत कर 30 रोगी शय्याओं वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 700 नये उप केन्द्र खोलने प्रस्तावित हैं।

76. समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आपरेशन थियेटर्स की विभिन्न चरणों में व्यवस्था करना प्रस्तावित है जिससे गांव के लोगों को आपरेशन की स्थानीय सुविधा मिल सके।

77. चार बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र प्रस्तावित हैं जिसके लिये भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। जयपुर मेडिकल कालेज में फोरेन्सिक मेडिसिन, बच्चों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रशासन में डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

78. जयपुर मेडिकल कालेज में गुर्दे के ट्रान्सप्लान्ट के लिये नेफरोलोजी का एक नया वार्ड, आग से जले रोगियों के उपचार हेतु एक विशेष बर्न यूनिट, दुर्घटनाग्रस्त रोगियों के शीघ्र उपचार हेतु कोमा यूनिट की स्थापना भी प्रस्तावित है। बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए नये उपकरण खरीदे जायेंगे।

79. वर्ष 1986-87 में बांगड़ रिसर्च सेन्टर को पूर्ण कराकर जनता के लिये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। साथ ही मेयो अस्पताल बिल्डिंग में एक नया जनाना अस्पताल प्रारम्भ कराना भी प्रस्तावित है जिससे वर्तमान जनाना अस्पताल पर भार कम होगा एवं जयपुर के बढ़ते हुए क्षेत्र को देखते हुए महिलाओं के लिये उनके निवास के नजदीक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

80. राजस्थान का इस वर्ष महिला एवं पुरुष नसबन्दी के 2 लाख 85 हजार आपरेशन करवाने का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध अब तक 2 लाख 30 हजार आपरेशन किये जा चुके हैं। प्रतिदिन करीब दो हजार आपरेशन हो रहे हैं, इस हिसाब से 31 मार्च, 1986 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की पूरी सम्भावना है। झुंझुनूं, श्रीगंगानगर, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा लक्ष्यों की प्राप्ति में शत-प्रतिशत से आगे निकल चुके हैं। राजस्थान परिवार नियोजन के कार्यक्रम में 5वें स्थान पर आया है। पूर्व में कभी 12वें स्थान से ऊपर नहीं आया था।

81. अनुसूचित जाति, चयनित परिवार, शहरों की कच्ची बस्तियों/स्लम्स में रहने वाले सभी लोगों को परिवार कल्याण अपनाने पर 150 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देना प्रारंभ कर दिया गया है। दो बच्चों वाले परिवारों को एक ग्रीन कार्ड दिया जा रहा है जिसके आधार पर सुविधाओं में प्राथमिकता दी जायेगी।

82. वर्ष 1986-87 में आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत 30 नवीन "ब" श्रेणी औषधालय खोले जाना प्रस्तावित है।

पेय जल :

83. सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य के समस्त गांवों में पेय जल की समुचित व्यवस्था करना हमारा लक्ष्य है। राज्य के कुल 34,968 गांवों में से जनवरी, 1986 तक 23,752 गांवों को पेय जल उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 1985-86 में 1600 गांवों को पेय जल से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से जनवरी, 1986 तक 1489 गांवों को लाभान्वित कर दिया गया है। कई वर्षों से बन्द पड़ी हुई करीब 1250 परम्परागत स्रोत योजनाओं को भी पुनः चालू करने के लिए राज्य

सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय इसी वर्ष लिया है। ब्यावर की जल प्रदाय योजना के पुनर्गठन के लिये अप्रेल, 1985 में 3.42 करोड़ रुपये की एक योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना का कार्य प्रगति पर है।

84. अकाल की स्थिति से निपटने के लिये इस वर्ष 35.35 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया है। इसके अन्तर्गत रिग्स भी खरीदी जायेगी। इन रिग्स के माध्यम से चट्टान व मिट्टी वाले क्षेत्रों में काफी गहराई तक पानी उपलब्ध हो सकेगा। अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने करीब 3280 गांवों में जल समस्या के निराकरण हेतु पृथक् से स्वीकृति प्रदान की है जिसके अन्तर्गत करीब 7000 हैण्ड पम्प और 440 नल कूप तैयार करवाये जायेंगे। इस वर्ष खराब हैण्ड पम्पों को ठीक करने के लिये दो बार मई, 1985 एवं दिसम्बर, 1985 में अभियान चलाया गया। दिसम्बर, 1985 में 11,769 हैण्ड पम्प ठीक किये गये।

85. राज्य सरकार द्वारा विद्युत् विभाग को यह निर्देश दिये गये हैं कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के जो जल स्रोत आदि तैयार हो गये हैं और विद्युत् अभाव में उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है उनको उच्च प्राथमिकता के आधार पर विद्युत् कनेक्शन दे दिये जायें ताकि आने वाली गर्मी तक शत प्रतिशत जल स्रोत चालू किये जा सकें और जनता को अधिक से अधिक राहत मिल सके। एक दिसम्बर, 1985 तक करीब 489 कनेक्शन विद्युत् विभाग द्वारा दिये जा चुके हैं।

86. वर्ष 1986-87 में पेय जल योजना पर 84.05 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इसमें केन्द्रीय सरकार से ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के लिये मिलने वाली राशि भी सम्मिलित है। शहरी जल प्रदाय योजना पर 13.45 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण जल प्रदाय पर 70.60 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। ग्रामीण एवं नगरीय जल प्रदाय योजनाओं पर होने वाले व्यय में से लगभग 7.41 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति तथा जन जाति के एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने पर व्यय किया जायेगा।

उद्योग :

87. आधारभूत सुविधाओं के अभाव में हमारा राज्य औद्योगिक विकास के क्षेत्र में कुछ पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिये हमने कई कदम उठाए हैं। औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम द्वारा 171 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है एवं 190 नये उद्योगों को वित्तीय मदद दी गई है जिसके फलस्वरूप राज्य में 600 करोड़ रुपये का विनियोजन हुआ है। वर्ष 1986-87 में राजस्थान वित्त निगम द्वारा 75 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान हाथ कर्घा विकास निगम द्वारा बुनकरों की सुविधा के लिये एक प्रोसेसिंग हाउस स्थापित करने का विचार है।

88. भारत सरकार ने इलेक्ट्रोनिक्स के सम्बन्ध में अभी कुछ दिनों पहले नई नीति की घोषणा की थी। इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में रोजगार की बाहुल्यता एवं बिजली की कम आवश्यकता को देखते हुए, राज्य सरकार ने इस किस्म के उद्योगों के विकास के लिये कई नई सुविधायें प्रदान की हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाई जाने वाली नई इलेक्ट्रोनिक्स इकाईयों को उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए बिक्री कर से मुक्त किया गया है। यह छूट उन वर्तमान इकाईयों के लिये भी उपलब्ध होगी जो अपनी अनुमोदित क्षमता से 50 प्रतिशत या उससे अधिक का विस्तार कर सकेंगे। वर्तमान इकाईयों के लिये बिक्री कर की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करदी गई है। इन सुविधाओं की घोषणा के पश्चात् रीको द्वारा हाल ही में दिल्ली में एक कैम्प का आयोजन

किया गया, जिसमें 190 उद्यमियों ने भाग लिया और उससे यह आशा बनी है कि इस क्षेत्र में लगभग 170 करोड़ रुपयों का पूंजी निवेश निकट भविष्य में हो सकेगा । हमें पूर्ण विश्वास है कि चालू पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य में इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उद्योग लगेंगे ।

खनिज :

89. राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज सम्पदा उपलब्ध है। उपलब्ध खनिज सम्पदा का वैज्ञानिक पद्धति से खनन द्वारा ही राज्य को अधिकतम लाभ हो सकता है। खनिज विभाग में सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण का अत्यधिक महत्व होता है और इस समय राज्य में ऐसी 60 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। उदयपुर जिले के अंजनी क्षेत्र में ताम्बा अयस्क एवं पाली जिले में शीलाइट खनिज (टंगस्टन) के भण्डार मिले हैं। जैसलमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौडगढ़, भीलवाड़ा, सिरोही व पाली जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पाये जाने वाले चूना-पत्थर के भण्डारों की सकल मात्रा एवं श्रेणी निश्चित करने के लिये प्रोसपेक्टिंग कार्य चल रहा है, जिसके सिद्ध होने पर राज्य में और सीमेन्ट प्लान्ट लग सकेंगे । इसी प्रकार बीकानेर के गुढ़ा क्षेत्र में लिग्नाइट के लगभग 1 करोड़ 50 लाख टन के भण्डार अनुमानित किये गये हैं ।

90. वैज्ञानिक पद्धति से टंगस्टन खनिज के दोहन हेतु, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से एक लघु टंगस्टन परिष्करण संयंत्र लगाया गया है जो भारत में इस प्रकार का पहला संयंत्र है । टंगस्टन एक बहुमूल्य खनिज है जो रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाये जा रहे विविध आयुधों में बहुत उपयोगी है। अतः इसकी परम्परागत उत्पादन शैली में तकनीकी परिवर्तन लाकर उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास किया जायेगा।

91. राक फास्फेट राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। यहां पाये जाने वाले निम्न श्रेणी के राक फास्फेट के परिशोधन हेतु एक बड़ा प्लाण्ट लगाने के लिये विदेशी विशेषज्ञों से संभाव्यता रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जो विचाराधीन है।

92. वर्ष 1986-87 में खनिज विकास के लिये 4.85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

परिवहन :

93. वाहन स्वामियों तथा समाज के विभिन्न वर्गों को परिवहन क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों के यथासमय निराकरण के लिये क्षेत्रीय स्तर पर परामर्शदात्री समिति और राज्य स्तर पर एक विकास परिषद् गठन करने का विचार है। मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जिन अपराधों का शमन (कम्पाउन्ड) किया जाना अधिकृत है, उनकी शमन दरों को अधिक व्यवहारिक बनाते हुए, उन्हें कम करने के भी आदेश राज्य सरकार ने दे दिये हैं। वाहन संचालन में अनावश्यक रुकावटें कम करने के लिये चैकिंग प्रणाली को अधिक युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

94. परिवहन विभाग को अधिक प्रभावी एवं संवेदनशील बनाने तथा प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ाने के लिये मुख्यालय से लेकर जिला स्तरीय कार्यालयों तक का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। जयपुर नगर के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के कार्यालय में अगले वित्तीय वर्ष से काउन्टर प्रणाली प्रारंभ की जा रही है। अपील सुनने के अधिकार प्रादेशिक स्तर के अधिकारियों को देने के साथ, अन्य कानूनी एवं प्रशासनिक अधिकारों के विकेन्द्रीकरण पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है ।

95. राज्य में आवागमन की यथोचित सुविधा उपलब्ध कराने के लिये बसों की संख्या बढ़ाने हेतु राज्य सरकार की नीति को अधिक उदार बनाया जा रहा है ।

96. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले परमिटों की संख्या पर प्रतिबन्ध हटाये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार इनकी वितरण की प्रणाली को अधिक सरल बना रही है। इससे प्रार्थना पत्र संबंधित सभी औपचारिकताएं क्षेत्रीय कार्यालयों में पूरी की जा सकेंगी।

97. जयपुर शहर की यातायात समस्या सरकार के लिये सदैव चिन्ता का विषय रही है। कुछ वर्ष पहले हमने शहर में मिनी बसों के माध्यम से यातायात व्यवस्था संचालित करने का प्रयास किया था, परन्तु इनके संचालन में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही थीं और यह संचालन आर्थिक दृष्टि से इनके लिये लाभदायक सिद्ध नहीं हो रहा था। अतः सरकार ने किसी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था होने तक इन लोगों को आर्थिक दृष्टि से अधिक संतुलित एवं सक्षम बनाने के लिये कुछ निर्णय लिये हैं, जिनके अनुसार जहां एक ओर सरकार बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किये हुए ऋण में दण्डनीय ब्याज की माफी, तथा ब्याज की दर में कमी के लिये भारत सरकार व रिजर्व बैंक से बातचीत करेगी वहीं दूसरी ओर इन्हें विशेष पथ कर में छूट दी गई है। अगले वित्तीय वर्ष से जयपुर शहर में चलने वाली मिनी बसों से 360 रुपये प्रति सीट प्रति वर्ष के स्थान पर 100 रुपये प्रति सीट प्रति वर्ष लिया जायेगा। इससे 21 सीट वाले वाहनों को 5,200 रुपये प्रति वर्ष कर की राहत मिली है। इनके पुराने बकाया के बारे में भी इनकी आर्थिक दशा को देखते हुए उपयुक्त निर्णय लिये गये हैं।

आवास :

98. राज्य में विभिन्न नगरों में आवास की समस्या जटिल होती जा रही है। माननीय सदस्यों को भी जयपुर में आवास की बहुत कठिनाई रहती है। अतः उनके परिवारों एवं उनके क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों को ठहरने की उचित सुविधा हो, इस उद्देश्य से माननीय सदस्यों के आवास हेतु 150 मकान बनाने की योजना है। इनमें से एक करोड़ रुपये की लागत से 50 मकान वर्ष 1986-87 में बनाना प्रस्तावित है।

99. जिला मुख्यालय, उप-खण्ड, तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर राजकीय आवास की कमी को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध रूप में इन स्थानों पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में 13.32 करोड़ रुपये की लागत से 1794 मकान बनाये जायेंगे। इसके लिए वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण प्राप्त किया जायेगा। वर्ष 1986-87 में 456 मकान बनवाना प्रस्तावित है जिनकी लागत 3.76 करोड़ रुपये होगी।

100. नगरीय आवासीय समस्या को दो तरीकों से हल करने की राज्य सरकार की नीति रही है। प्रथम तो यह है कि आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न स्थानों पर अधिक से अधिक मकान बनवा कर जनता को उपलब्ध कराया जावे तथा दूसरी यह कि जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यासों एवं नगरपालिकाओं द्वारा शहरों में अधिक से अधिक भूखण्ड लोगों को मकान बनाने के लिये उपलब्ध करावें तथा यथा संभव आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आवास निर्माण भी करावें।

101. आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1985-86 में 11,785 मकान निर्मित किये गये हैं। आवासन मण्डल ने जयपुर की मान-सरोवर आवासीय परियोजना के निर्माण से संबंधित श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही बसाने की योजना प्रारंभ की है। वित्तीय वर्ष 1986-87 में आवासन मण्डल द्वारा 11,500 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है जिसमें 5,000 मकान आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिये निर्माण किये जायेंगे।

102. आवासों के निर्माण का कार्य नगर विकास न्यासों के अतिरिक्त चयनित नगरपालिकाओं ने भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये प्रारंभ किया है। इस वर्ष पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के

अन्तर्गत 15 नगरपालिकाओं को उनके क्षेत्र की कच्ची बस्तियों के सुधार के लिये 55 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।

लघु एवं मध्यम कस्बों का विकास :

103. इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 11 कस्बे चयनित किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा चालू वर्ष में राज्य के 3 कस्बों– जालौर, सिरोही एवं माउण्ट आबू के विकास के लिये 60 लाख रुपये की सहायता दी गई है। वर्ष 1986-87 में इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से 100 लाख रुपये का ऋण प्राप्त होने की आशा है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास :

104. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास परियोजना में अलवर जिले की 6 तहसीलों को सम्मिलित किया गया है। इस परियोजना के कार्यक्रम के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने हेतु नगर विकास न्यास अलवर के कार्य क्षेत्र को खैरथल व बहरोड़ नगरपालिका क्षेत्र व भिवाड़ी तथा शाहजहांपुर पंचायत तक बढ़ा दिया गया है। भिवाड़ी क्षेत्र के विकास के लिये भारत सरकार ने 75 लाख रुपये का ऋण भी स्वीकृत किया है।

समाज कल्याण :

105. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के सामाजिक तथा त्वरित आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। इस वर्ष छात्रों के शैक्षणिक विकास हेतु दी जा रही वित्तीय सहायता में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी अक्टूबर, 1985 से लागू की गई है। इससे राज्य कोष पर 64 लाख रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा है। साथ ही 35 नये छात्रावास खोले गये और इनमें 875 छात्रों के रहने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख बीस हजार अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित कर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध जनवरी, 1986 के अन्त तक 84,290 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है जो लक्ष्य का 70.24 प्रतिशत है।

106. जनजाति विकास नीति का पुनः मूल्यांकन किया गया है एवं कई योजनाओं को व्यक्तिपरक बनाया गया है। सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के काश्तकारों के सिंचाई के कुएं गहरे कराने का एक वृहद् एवं महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, जो अगले वर्ष भी चालू रहेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 10 हजार कुएं गहरे कराये जा सकेंगे।

107. शिक्षा को रोजगार प्रेरक बनाने के लिए जनजाति क्षेत्रों के सभी जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं और पंचायत समिति स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे हैं।

108. राजस्थान क दक्षिण वर्ती क्षेत्रों में नारू की बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (सीडा) एवं यूनिसेफ के सहयोग से 12 करोड़ रुपये की एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है, जिसकी क्रियान्विति अगले वर्ष से किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत 7 करोड़ रुपये की राशि सीडा व यूनिसेफ के माध्यम से प्राप्त होगी तथा शेष राशि राज्य सरकार अपने बजट में से देगी।

109. जनजाति क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत समिति के 10 गांवों का चयन कर वहां अधिक उत्पादन वाली फसलों के उत्पादन का सघन कार्यक्रम हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है।

110. जनजाति क्षेत्रों में रेशम की खेती करने का प्रयास सफल रहा है। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

महिला, बच्चे एवं पोषाहार कार्यक्रम :

111. ग्रामीण महिलाओं, विशेष रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं को विकास की मूल धारा से जोड़ने हेतु महिला विकास कार्यक्रम योजना राज्य के 7 जिलों–अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर में चालू किया गया है। आगामी वर्षों में इसे चार अन्य जिलों में चालू किये जाने का प्रस्ताव है।

112. वर्ष 1985-86 में 10 बाल विकास परियोजनायें प्रारम्भ की गई थीं। 1986-87 में भी 10 नवीन परियोजनायें और खोलने का लक्ष्य है जिससे इन विकास परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 65 हो जायेगी। इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिये वर्ष 1986-87 में 5.17 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

राजस्व प्रशासन :

113. काश्तकारों की समस्याओं के समाधान पर पिछले एक वर्ष से राज्य सरकार विचार कर रही है। किसानों के हित में हम राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए सतत् प्रयत्नशील रहे हैं। राजस्व वादों के शीघ्रता से निपटारे के उद्देश्य से वर्ष 1985-86 में 11 नये सहायक जिलाधीश न्यायालय खोले गये हैं तथा एक नया उप खण्ड (शाहबाद जिला कोटा) सृजित किया गया है। 1076 ढाणियों को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया है। जहां आवश्यक होगा तथा क्षेत्रफल एवं आबादी के दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण होगा नये राजस्व गांव तथा सहायक जिलाधीश न्यायालय वर्ष 1986-87 में भी खोले जायेंगे।

114. जिला प्रशासन को अधिक संवेदनशील एवं गतिशील बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार किया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि कुछ प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण तत्काल ही हो जाय और बाकी का भी निस्तारण निश्चित अवधि में हो सकना सुनिश्चित हो जाय। 1986-87 के प्रथम 6 माह में 13 जिलों में यह प्रयोगात्मक प्रशासनिक सुधार लागू करने का विचार है।

115. काश्तकारों की कुछ अन्य विशिष्ट समस्याओं का भी मेरे साथियों ने और स्वयं मैंने गहराई से अध्ययन किया है तथा सरकारी और गैर-सरकारी स्तरों पर इन पर विस्तृत विचार विमर्श किया है। राजस्व मंत्रीजी ने इनकी तह तक पहुंचने के लिए व्यापक दौरे किये हैं। मैं स्वयं भी कई स्थानों पर गया हूं, और जन साधारण एवं जन प्रतिनिधियों दोनों ही से विचार विमर्श किया है। काफी मनन एवं चिंतन के पश्चात् काश्तकारों की कुछ विशिष्ट मुश्किलात हल करने के दृष्टिकोण से हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं जिनकी जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं :

(1) काश्तकारों की बकाया वसूल करने के लिये खड़ी फसल के समय पानी की बारी नहीं काटी जायेगी। यदि किसी काश्तकार में बकाया है तो बुवाई के समय ही पानी की बारी काटी जायेगी। इसी प्रकार फसल के समय विद्युत् कनेक्शन भी नहीं काटा जायेगा। यदि फसल कटने के पश्चात् भी, बकाया रकम नहीं जमा कराई जाती है तो अगली फसल से पहले ही विद्युत् कनेक्शन काट दिया जायेगा।

(2) यदि किसी काश्तकार ने राजकीय भूमि, गोचर भूमि आदि पर कुआं खुदवा लिया है तो उसके नियमन की कार्यवाही की जायेगी ताकि वह अपने खेत में पानी दे सके।

(3) राजस्थान कृषि जोतों की अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम की धारा 15 में निर्णीत प्रकरणों को खोलने की निर्धारित अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी।

(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15-एएए में खातेदारी हेतु प्रार्थना-पत्र देने की तिथि 30-6-86 तक बढ़ाई जा रही है।

(5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(2) में कृषि भूमि की परिभाषा में फार्म फारेस्टरी को जोड़ा जावेगा। जो भूमि कृषि योग्य नहीं है किन्तु उस पर वृक्षारोपण किया जा सकता है और आमदनी का जरिया बनती है उसके आवंटन हेतु नियम बने हुए हैं। इन नियमों के अन्तर्गत व्यक्तियों, समितियों एवं कम्पनियों इत्यादि को आवंटन किया जा सकता है। इन नियमों में धर्मार्थ, पुण्यार्थ प्रन्यासों को जोड़ा जावेगा। इन नियमों में योजनाबद्ध तरीके से लगाये गये पेड़ों को समय-समय पर काटने की अनुमति देने का प्रावधान भी किया जायेगा।

(6) कृषि जोतों के कृषि कार्यों के लिये विखण्डन (फ्रेगमेन्टेशन) पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करने का सरकार विचार कर रही है।

(7) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के उन गांवों को उप-निवेशन क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जायेगा जहां पानी पहुंचने की बिल्कुल संभावना नहीं है।

(8) घग्घर डिप्रेशन में पानी भरने के फलस्वरूप बढ़ते हुए रिसाव को रोकने की व्यवस्था की जायेगी एवं प्रभावित काश्तकारों को उसकी जमीन के बदले अन्यत्र जमीन आवंटित करने का प्रयास किया जायेगा।

(9) महाजन तोपाभ्यास क्षेत्र के विस्थापितों को नियमानुसार दिये गये मुआवजे के अलावा उनकी धारित भूमि (सीलिंग सीमा तक) के बराबर भूमि देने एवं उनकी बसावट के लिये तत्परता से कार्य किया जा रहा है और उन नई आबादियों में पानी, चिकित्सा सुविधा, विद्यालय एवं सस्ते अनाज की दुकानों आदि की व्यवस्था की जायेगी।

(10) भूमि के आवंटन, नियमन और सामान्तरकरण को त्वरित गति से निपटाने हेतु समुचित आदेश प्रसारित किये जायेंगे। लम्बित प्रकरणों को 30 सितम्बर, 1986 तक अभियान मनाकर यथा सम्भव निपटाने के निर्देश दिये जायेंगे।

(11) केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम को लागू किए जाने के लिए एक बिल प्रस्तुत किये जाने का सरकार ने निर्णय लिया है।

(12) उपनिवेशन क्षेत्रों में अवधि पार किश्तों को 30-9-1986 तक ब्याज सहित जमा कराने पर भूमि आवंटन निरस्त नहीं किया जायेगा।

(13) राजस्व सम्बन्धी विभिन्न कानूनों को एकीकृत कर नये राजस्व कोड बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

विद्युत् सम्बन्धी निर्णय :

(14) काश्तकारों को 10 घण्टे कृषि बिजली उपलब्ध कराई जायेगी। विद्युत् मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय में इस बारे में आवश्यक रिकार्ड रखा जायेगा।

(15) जिन लाइनों पर बिजली का लोड अधिक है वहां रोटेशन से बिजली उपलब्ध कराई जायेगी। इस नई व्यवस्था के सम्बन्ध में समुचित प्रचार करवाया जायेगा।

(16) गत माहों में बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण जो बकाया राशि कृषक उपभोक्ताओं में रह गई है उस पर शास्ति आरोपित नहीं की जायेगी बशर्ते काश्तकार उसे आगामी तीन किश्तों में अदा कर देवें।

(17) कैपेसिटर लगाने के प्रावधान को एक साल के लिए स्थगित रखा जायेगा परन्तु यदि किन्ही काश्तकारों से कैपेसिटर की कीमत वसूल हो गई है तो विद्युत् मण्डल उनके यहां कैपेसिटर लगा देगा।

(18) यदि किसी कृषक उपभोक्ता ने अपने कुएं पर स्वयं का मीटर लगा रखा है तो उससे मीटर किराया वसूल नहीं किया

जायेगा। यदि किसी काश्तकार से यह वसूली कर ली गई है तो आगामी 6 माह में उसे समायोजित कर लिया जायेगा।

(19) मीटर खराब हो जाने की दशा में काश्तकार से पिछले माहों की औसत के आधार पर विद्युत् चार्जेज वसूल नहीं किये जायेंगे बल्कि इस हेतु जिस माह में मीटर बन्द हुआ है, गत वर्ष के उसी माह के बिलों के चार्जेज के अनुसार ही काश्तकार से वसूली की जाएगी।

(20) यदि किसी काश्तकार ने आगामी नियमित बिल दो महीने तक नहीं चुकाया तो विद्युत् मण्डल उसका कनेक्शन काट देने के लिये स्वतन्त्र होगा।

(21) यदि किसी विद्युत् उपभोक्ता की मृत्यु विद्युत् मण्डल की असावधानी के कारण हो जाती है तो उसका मुआवजा नियमानुसार निर्धारित हो जाने पर विद्युत् मण्डल द्वारा चुकाया जाएगा।

(22) कुओं पर दिये गये विद्युत् कनेक्शन से काश्तकार अपने खेत में कुट्टी की मशीन व थ्रेसर चला सकेंगे। यह छूट उतने हार्स पावर की होगी जितनी हार्स पावर की मोटर उसके कुएं पर लगी हुई है।

(23) विद्युत् मण्डल में किसानों एवं अन्य उपभोक्ताओं को प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया जा रहा है।

लोक अदालतों की स्थापना :

116. जन साधारण को शीघ्र ही न्याय उपलब्ध हो सके, इसके लिये लोक अदालतों की परिपाटी प्रारंभ की गई है। राजस्थान में दिनांक 30 नवम्बर, 1985 से लोक अदालतों का नियमित कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसके अन्तर्गत 11 जिलों में विभिन्न स्थानों पर लोक अदालतों ने अब तक 35139 मुकदमों का निस्तारण किया है। इनमें 1419 दीवानी, 5773 फौजदारी, 8873 राजस्व, 8031 मोटर गाड़ी अधिनियम, 2823 नगरपालिका अधिनियम तथा शेष अन्य किस्म के मामले हैं। सड़क दुर्घटना के मामलों में 102.52 लाख रुपये की राशि के अवार्ड जारी किये गये हैं तथा अधिकांश में मौके पर ही क्लेम्स का भुगतान किया गया है।

फेमिली कोर्ट की स्थापना :

117. राज्य सरकार ने जयपुर में पारिवारिक मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये फेमिली कोर्ट एक्ट, 1985 के अन्तर्गत एक फेमिली कोर्ट की स्थापना की है, जिसने दिनांक 1 जनवरी, 1986 से कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस न्यायालय में लगभग 600 मुकदमे विचारार्थ आ चुके हैं जिनमें से 80 मामलों का फैसला भी हो चुका है।

118. उक्त अधिनियम के अन्तर्गत फेमिली कोर्ट की स्थापना करने में राजस्थान राज्य अग्रणी है।

अल्प बचत :

119. अल्प बचत में संग्रहित राशि का दो तिहाई भाग ऋण के रूप में राज्य सरकार को प्राप्त होता है। वर्ष 1986-87 में अल्प बचत के अन्तर्गत 168 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का लक्ष्य है। इससे राज्य सरकार को 112 करोड़ रुपये अल्प बचत में संग्रहण के पेटे भारत सरकार से उपलब्ध होंगे।

भूतपूर्व सैनिकों को सहायता :

120. राज्य सरकार का भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति सदैव ही उदार एवं सहानुभूतिपूर्ण रुख रहा है। जमीन के आवंटन में उन्हें प्राथमिकता दी जाती रही है। वर्ष 1985-86 में 1177 भूतपूर्व सैनिकों को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन किया गया है। परम वीर चक्र तथा अशोक चक्र प्राप्त कर्ता सैनिक को 10,000 रुपये के स्थान पर 15,000 रुपये, महावीर चक्र एवं कीर्ति चक्र प्राप्त कर्ता सैनिक को 5,000 रुपये के स्थान पर 7,500 रुपये तथा वीर चक्र व शौर्य

चक्र प्राप्त करने वाले सैनिक को 2,000 रुपये के स्थान पर 2,500 रुपये की नकद राशि इनाम स्वरूप देना प्रस्तावित है।

कर्मचारी कल्याण :

महँगाई भत्ते की तीन किश्तें

121. राज्य सरकार के कर्मचारियों को महँगाई भत्ते की तीन अतिरिक्त किश्तें–पहली एक अगस्त, 1985 से, दूसरी एक नवम्बर, 1985 से एवं तीसरी एक जनवरी, 1986 से दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस राशि का नकद भुगतान मार्च, 1986 के वेतन के साथ किया जायेगा। 28 फरवरी, 1986 तक की बकाया राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा की जायेगी। राज्य सरकार के सेवा निवृत्त पेंशनरों को भी पेंशन में बढ़ोतरी की तीन अतिरिक्त किश्तें देने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 27 करोड़ 60 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सुविधायें

122. भारत सरकार द्वारा सेवा निवृत्त होने वाले अपने कर्मचारियों को हाल ही में जो कुछ सुविधायें दी गई हैं उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत पेंशन एवं ग्रेच्युटी की गणना में 568 मूल्य सूचकांक तक मिलने वाला महँगाई भत्ता सम्मिलित होगा। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 36,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये हो जायेगी। इस पर प्रति वर्ष लगभग 3.24 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय होंगे। पेंशन की राशि बढ़ने से कम्युटेशन की राशि में 2.72 करोड़ रुपये का प्रति वर्ष अधिक व्यय होगा।

सामान्य भविष्य निधि

123. राज्य कर्मचारियों को उनकी बचत पर अधिक लाभ देने के लिये सामान्य भविष्य निधि की वर्तमान ब्याज दर 10.5 प्रतिशत को बढ़ाकर 1-4-86 से 12 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

वृद्धावस्था पेंशन :

124. सामाजिक दायित्व को वहन करने के लिये वृद्धावस्था पेंशन तथा विकलांगों एवं विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन की राशि क्रमशः 40 रुपये के स्थान पर 50 रुपये एवं 60 रुपये के स्थान पर 80 रुपये करने का प्रस्ताव है। इससे लगभग 80,000 पेंशनरों को लाभ होगा। इसका वार्षिक भार प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये होगा।

वर्ष 1985-86 की वास्तविक स्थिति :

125. वर्ष 1985-86 के परिवर्तित बजट में वर्ष के अन्त में घाटा 23.88 करोड़ रुपये आंका गया था। तत्पश्चात् 3.37 करोड़ रुपये की विद्युत् दरों में कमी, 0.30 करोड़ रुपये की विद्युत् शुल्क में छूट एवं 5.65 करोड़ रुपये की खदानों के नीचे आने वाली भूमि से संभावित आय में कमी होने के फलस्वरूप यह घाटा 33.20 करोड़ रुपये अनुमानित था। इस वर्ष केन्द्रीय करों से राज्य के हिस्से के रूप में प्रारम्भिक अनुमानों की तुलना में 35.48 करोड़ रुपये की अधिक राशि प्राप्त होगी। कुछ मदों में आय व व्यय के अन्तर के कारण 3.25 करोड़ रुपये की बचत अनुमानित है। इस प्रकार 33.20 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक घाटा 5.53 करोड़ रुपये के अधिशेष में परिवर्तित होने का अनुमान है।

आय-व्ययक अनुमान 1986-87 :

126. वर्ष 1986-87 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

	(करोड़ रुपयों में)
1. राजस्व प्राप्तियां	1637.60
2. राजस्व व्यय	1707.63
3. राजस्व खाते में घाटा	(–) 70.03
4. पूंजीगत प्राप्तियां	628.66
5. योग (3+4)	(+) 558.63
6. पूंजीगत व्यय	636.04
7. शुद्ध घाटा (5–6)	(–)77.41

127. वर्ष 1985-86 के अन्त में रही 5.53 करोड़ रुपये की संभावित बचत को कम करने से, वर्ष 1986-87 के अन्त में समग्र घाटा 71.88 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

128. वर्ष 1986-87 की वार्षिक योजना के आकार में हुई वृद्धि के वित्त पोषण के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता निर्विवाद है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रस्ताव बनाते समय मेरा यह प्रयास रहा है कि इन कर प्रस्तावों का भार आम जनता पर कम से कम पड़े। अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु मैं निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

नये उपाय :

भूमि कर

129. संभवतः आपको स्मरण होगा कि अपने पिछल बजट भाषण में मैंने गैर-शहरी इलाकों में कृषि भूमि, सहकारी भूमि तथा स्थानीय निकायों और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमि को छोडकर बाकी भूमि पर कर लगाने के लिये अधिनियम बनाना प्रस्तावित किया था, तथा तत्पश्चात पिछले वर्ष के बजट सत्र के दौरान राजस्थान भूमि कर अधिनियम, 1985 पारित किया गया था। अब मैं उक्त की धारा 2 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) का संशोधन करना प्रस्तावित करता हूं। इस संशोधन के फलस्वरूप खनिज सम्बन्धी भूमि के संदर्भ में "वार्षिक मूल्य" की परिभाषा में परिवर्तन हो जायेगा। खनिज भूमि के संदर्भ में "वार्षिक मूल्य" वर्तमान में वर्ष के लिये संदेय डेड रेन्ट के बराबर अथवा रायल्टी का आधा, जो भी उच्चतर हो, है। उपरोक्त संशोधन के पश्चात् यह "वार्षिक मूल्य" वर्ष के लिए संदेय डेड रेन्ट का चार गुना अथवा रायल्टी की राशि का दो गुना, जो भी उच्चतर हो, हो जायेगा। इस संशोधन के क्रियान्वयन से एक वर्ष में रुपये 5.00 करोड के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति का अनुमान है।

पंजीकरण शुल्क :

130. पंजीकरण शुल्क की दरों का पिछला सामान्य पुनरीक्षण एवं निर्धारण 1977 में हुआ था। तब से अब तक इस सेवा के प्रबन्ध में होने वाले व्यय में काफी वृद्धि हुई है। अतः मैं पंजीकरण शुल्क की दरों को दो गुना करते हुए पुनर्निर्धारित करना प्रस्तावित करता हूं। इस उपाय से रुपये 2.00 करोड का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

मोटर-वाहन कर :

131. राज्य में निजी मोटर वाहनों की तेजी से बढती हुई संख्या तथा ऐसे वाहन के स्वामियों को वाहनों पर देय रोड़-टैक्स के वार्षिक भुगतान से होने वाली असुविधा तथा परेशानी को देखते हुए, मैं निजी वाहनों के रोड-टैक्स के वार्षिक भुगतान की पद्धति के स्थान पर एक-मुश्त राशि की भुगतान की व्यवस्था का प्रावधान करना प्रस्तावित करता हूं। जितने वर्ष तक किसी वाहन पर कर भुगतान किया जा चुका है उनकी संख्या को ध्यान में रख कर पूर्व में पंजीकृत वाहनों को उपयुक्त छूट दी जायेगी। इस पद्धति में राज्य से बाहर ले जाये जा रहे वाहन अथवा दुर्घटना आदि के कारण पूर्णरूप से नष्ट हो जाने वाले वाहनों को रिफन्ड हेतु समुचित प्रावधान भी किया जायेगा।

132. इस प्रस्तावित एक मुश्त भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी की निजी स्वामित्व वाले वाहनों पर निम्न-लिखित दरों से एक मुश्त कर लगाया जाना प्रस्तावित है :

क्र. सं.	वाहन की श्रेणी व संक्षिप्त विवरण	वर्तमान एवं प्रस्तावित कर एवं छूट की दरें व सीमा
1		2
(क)	80 सी. सी. का इस श्रेणी के वाहन पर वर्तमान में वार्षिक अधिकतम क्षमता रोड टैक्स की दर रुपये 38.50 प्रति वर्ष	

1	2
तक के मोपेड तथा यंत्र शक्ति-युक्त साइकिलें	है, जिसके बदले में अब एक मुश्त भुगतान रुपये 300.00 का निर्धारित करना प्रस्तावित है। पुराने पंजीकृत वाहनों को उपयोग के प्रति वर्ष के लिए रुपये 37.50 प्रति वर्ष की दर से 7 वर्षों की अधिकतम सीमा तक की छूट देय होगी।
(ख) मोटर साइकिल, स्कूटर तथा मोटर चालित तीन पहिया साइकिल आदि	इस श्रेणी के वाहन पर वर्तमान में वार्षिक रोड टैक्स की दर रुपये 38.50 प्रति वर्ष है, जिसके बदले में अब एक मुश्त भुगतान रुपये 380.00 का निर्धारित करना प्रस्तावित है। पुराने पंजीकृत वाहनों को उपयोग के प्रति वर्ष के लिए रुपये 38.00 प्रति वर्ष की दर से 9 वर्षों की अधिकतम सीमा तक की छूट देय होगी।
(ग) मोटर वाहन (1) चार व्यक्ति की बैठक क्षमता (ड्राइवर को सम्मिलित करते हुए)	इस श्रेणी के वाहन पर वर्तमान में वार्षिक रोड टैक्स की दर रुपये 176.00 प्रति वर्ष है, जिसके बदले में अब एक मुश्त भुगतान रु. 2,100.00 का निर्धारित करना प्रस्तावित है। पुराने पंजीकृत वाहनों को उपयोग के प्रति वर्ष के लिए रुपये 175.00 प्रति वर्ष की दर से 11 वर्षों की अधिकतम सीमा तक की छूट देय होगी।
(ग) (2) पांच व्यक्ति की बैठक क्षमता (ड्राइवर को	इस श्रेणी के वाहन पर वर्तमान में वार्षिक रोड टैक्स की दर रुपये 220.00 प्रति वर्ष है, जिसके बदले में अब एक मुश्त भुगतान रुपये 2,600.00 का निर्धारित करना

1	2
सम्मिलित करते हुए)	प्रस्तावित है। पुराने पंजीकृत वाहनों को उपयोग के प्रति वर्ष के लिए रुपये 216.50 प्रति वर्ष की दर से 11 वर्षों की अधिकतम सीमा तक की छूट देय होगी।
(ग) (3) छः व्यक्ति की बैठक क्षमता (ड्राइवर को सम्मिलित करते हुए)	इस श्रेणी के वाहन पर वर्तमान में वार्षिक रोड टैक्स की दर रुपये 264.00 प्रति वर्ष है, जिसके बदले में अब एक मुश्त भुगतान रुपये 3,100.00 का निर्धारित करना प्रस्तावित है। पुराने पंजीकृत वाहनों को उपयोग के प्रति वर्ष के लिये रुपये 258.50 प्रति वर्ष की दर से 11 वर्षों की अधिकतम सीमा तक की छूट देय होगी।
(घ) पिक अप वाहन (1) एक हजार किलोग्राम की आर. एल. डब्ल्यू. वजन की अधिकतम क्षमता तक वाले वाहन	इस श्रेणी के वाहन पर वर्तमान में वार्षिक रोड टैक्स की दर रुपये 220.00 प्रति वर्ष है, जिसके बदले में अब एक मुश्त भुगतान रुपये 2,600.00 का निर्धारित करना प्रस्तावित है। पुराने पंजीकृत वाहनों को उपयोग के प्रतिवर्ष के लिए रुपये 216.50 प्रतिवर्ष की दर से 11 वर्षों की अधिकतम सीमा तक की छूट देय होगी।
(2) एक हजार किलोग्राम की आर. एल. डब्ल्यू. वजन से	इस श्रेणी के वाहन पर वर्तमान में वार्षिक रोड टैक्स रुपये 302.50 प्रतिवर्ष है, जिसके बदले में अब एक मुश्त भुगतान रुपये 3,600.00 का निर्धारित करना प्रस्तावित है। पुराने पंजीकृत वाहनों को उपयोग के

1	2
अधिक की क्षमता वाले वाहन	प्रति वर्ष के लिए रुपये 300.00 प्रति वर्ष की दर से 11 वर्षों की अधिकतम सीमा तक की छूट देय होगी।
(ङ) (1) ट्रैक्टर	इस श्रेणी के वाहन पर वर्तमान में वार्षिक रोड टैक्स रुपये 55.00 प्रति वर्ष है, जिसके बदले में अब एक मुश्त भुगतान रुपये 600.00 का निर्धारित करना प्रस्तावित है। पुराने पंजीकृत वाहनों को उपयोग के प्रति वर्ष के लिए रुपये 50.00 प्रति वर्ष की दर से 11 वर्षों की अधिकतम सीमा तक की छूट देय होगी।
(ङ) (2) ट्रैक्टर से खींचे जाने वाले ट्रेलर	इस श्रेणी के वाहन पर वर्तमान में वार्षिक रोड टैक्स रुपए 110.00 प्रति वर्ष है, जिसके बदले में अब एक मुश्त भुगतान रुपये 1,300.00 का निर्धारित करना प्रस्तावित है। पुराने पंजीकृत वाहनों को उपयोग के प्रति वर्ष के लिए रु. 108.00 प्रति वर्ष की दर से 11 वर्षों की अधिकतम सीमा तक की छूट देय होगी।

133. परन्तु ऊपर वर्णित वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू छूट के प्रावधानों के बावजूद, वर्ष 1986-87 में समस्त पूर्व से पंजीकृत वाहनों के स्वामियों को एक बार ऐसी एक मुश्त कर की अदायगी करनी होगी जो कि संबंधित वाहन श्रेणी को लागू होने वाली एक वर्ष की छूट राशि से किसी स्थिति में कम नहीं होगी, चाहे कोई वाहन कितना भी पुराना क्यों न हो।

134. एक मुश्त भुगतान की व्यवस्था सम्बन्धी उपाय से वित्तीय वर्ष 1986-87 में रुपये 10.00 करोड़ के अतिरिक्त संसाधन प्राप्ति का अनुमान है।

135. मैं परिवहन विभाग के लिए कुछ सुधारात्मक उपायों की घोषणा पहले ही कर चुका हूं। उसी क्रम में मैं मोटरयान कराधान अधिनियम के अन्तर्गत बाकी कर की विलम्ब से अदायगी पर लगने वाली शास्ति सम्बन्धी प्रावधानों को संशोधित कर शास्ति की वर्तमान दर को 5 प्रतिशत प्रति माह से घटाकर 1.5 प्रतिशत प्रति माह करने का प्रस्ताव करता हूं।

मनोरंजन कर :–

136. वर्तमान में प्रवेश दरों के आधार पर मनोरंजन कर की भिन्न दरें लागू हैं। अब प्रवेश दर के शत् प्रतिशत् के बराबर मनोरंजन कर की एकमात्र समान दर लागू करने का प्रस्ताव है। इससे रुपये 50.00 लाख प्रति वर्ष के अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति की आशा है।

बिक्रीकर :–

137. बिक्री कर राज्य के कर राजस्व का मुख्य आधार है, अतः अतिरिक्त संसाधन जुटाने के किसी प्रयास में इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे इस दिशा में संभावनाओं की तलाश करनी पड़ी है। फलस्वरूप में बिक्री कर दरों में निम्न पुनरीक्षण, संरचनात्मक परिवर्तन तथा विवेकीकरण के उपाय प्रस्तावित करता हूं।

138. वर्तमान में कई वस्तुऐं बिक्री कर से मुक्त हैं। इनमें से कई कर-मुक्तियों का आसानी से दुरुपयोग होता रहा है जिसके फलस्वरूप काफी करापवंचन एवं राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है। मैं निम्नलिखित वस्तुओं को दी गयी छूट वापस लेना प्रस्तावित करता हूं :

(1) भारतीय प्रणाली की फ्लश लेट्रीन सीटें ।

(2) बिना वेतनभोगी मजदूरों तथा उत्पादन प्रक्रिया के किसी चरण में बिजली के उपयोग के बिना संगमरमर से बनाया गया सामान, जब ऐसा सामान स्वयं उत्पादक अथवा उसके परिवार के सदस्य द्वारा बेचा जाय ।

(3) पत्थर अथवा संगमरमर से बनायी गयी मूर्तियां तथा छवियां ।

139. मैं निम्नलिखित वस्तुओं पर देय-बिक्री कर की उनके समक्ष अंकित दरों के अनुसार बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं :

1. भांग चिरे हुए पोस्त के डोडे अफीम	20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत
2. सीमेण्ट तथा सीमेण्ट की बनी वस्तुऐं जिनमें पाइप तथा पाइप-फिटिंग्स सम्मिलित हैं	12 प्रतिशत से 13 प्रतिशत
(3) समस्त आकारों और डिजाइनों की मोटर बाडियां (जिनमें मोटर वैन, मोटर टैंकर, मोटर कैरेवैन, मोटर ट्रक और मोटर बसों की मोटर बाडियां सम्मिलित हैं) जो चाहे चैसिसों पर या पृथकतः निर्मित की जायें	10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत
(4) सिले-सिलाये कपड़े जिनमें ऊन, सिन्थेटिक ऊन और शुद्ध सिल्क से बने हौजरी उत्पादों को छोड़कर समस्त प्रकार के हौजरी उत्पाद सम्मिलित हैं	3 प्रतिशत 5 प्रतिशत

140. कुछ समय पहले तक यह विवादास्पद था कि लॉटरी टिकटें कर निर्धारण योग्य वस्तु मानी जा सकती हैं अथवा नहीं । सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के एक निर्णय में लॉटरी टिकटों को कर निर्धारण योग्य वस्तु माना गया है । मैं अब लॉटरी टिकटों पर 25 प्रतिशत की दर से बिक्री कर निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं ।

141. मैं कुछ मानव-निर्मित फाइबर तथा धागों पर राज्य बिक्री कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर की दरों को निम्नानुसार कम करना प्रस्तावित करता हूं :

(1) सभी भांति के मानव-निर्मित रेशे, चाहे वे सैलूलोसिक या नौन-सैलूलोसिक हों अथवा उनकी छीजन	3 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत (राजस्थान विक्रय कर)
(2) मानव-निर्मित ऐसे रेशे से, जो चाहे सैलूलोसिक हो या नौन-सैलूलोसिक, बना सभी भांति का धागा या उसकी छीजन, चाहे वह कते हुए रूप में हो या फिलामेण्ट के रूप में, जिसमें उसका मिश्रित धागा सम्मिलित है किन्तु एक्रिलिक धागा, अर्थात् नौन-सैलूलोसिक एक्रिलिक रेशे से चाहे वह सैलूलोसिक रेशे के साथ मिश्रित हो या नहीं बना धागा सम्मिलित नहीं है	3 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत (राजस्थान विक्रय कर)
(3) एक्रिलिक धागे अर्थात् नौन-सैलूलोसिक एक्रिलिक रेशे से	1.5 प्रतिशत से एक प्रतिशत

बने धागे, जो चाहे सेलूलौसिक रेशे से मिश्रित हो या नहीं हो अथवा उसकी छीजन	(केन्द्रीय बिक्री कर)

142. बिक्री कर के मद में उपरोक्त सभी उपायों से रुपये 4.0। करोड़ प्रतिवर्ष की राजस्व की प्राप्ति अनुमानित है।

143. मुद्रा स्फीति के प्रभाव को निष्फल करने तथा व्यापारी-वर्ग को राहत देने के दृष्टिकोण से मैं राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों को संशोधित कर वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकरण हेतु डीलरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए टर्नोवर सीमा निम्न प्रकार निर्धारित करना प्रस्तावित करता हूं :

(1) आयातकर्ता के मामले में	रुपये 10,000 से रुपये 15,000
(2) किसी ऐसे व्यवहारी के मामले में जो बेकरी उत्पादों को छोड़कर पकाये हुए खाद्य पदार्थों से भिन्न कोई भी मालविनिर्मित करता है	रुपये 25,000 से रुपये 35,000
(3) सहकारी समितियों के लिए	रुपये 50,000 से रुपये 70,000
(4) अन्य व्यवहारियों के लिए	रुपये 75,000 से रुपये 1,00,000

144. इन उपरोक्त कर प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न अधिनियमों में कुछ वैधानिक संशोधन करने होंगे जिसके लिए इस भाषण के तुरन्त बाद आपके समक्ष राजस्थान वित्त अधिनियम, 1986 प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगा।

145. उपरोक्त उपायों से राजस्व में 21.50 करोड़ रुपये की प्राप्तियां अनुमानित हैं। इस राशि के समायोजन के पश्चात्, वर्ष के

अन्त में 50.38 करोड़ रुपये का घाटा रहने का अनुमान है। फिलहाल इस घाटे को मैं अपूरित ही छोड़ने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि मैं आशा करता हूं कि यह घाटा कुछ हद तक केन्द्रीय सरकार से अधिक सहायता मिलने एवं राजकीय आय तथा अल्प बचत संग्रहण में वृद्धि से पूरा हो सकेगा।

146. राज्य के विकास एवं बहुमुखी प्रगति के लिये हम दृढ़ संकल्प हैं। हमारे सुयोग्य एवं प्रतिभाशाली नेता श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में देश में राजनीतिक स्थिरता एवं त्वरित आर्थिक विकास के एक नये युग का सूत्रपात हुआ है। आसाम और पंजाब की समस्याओं का शान्तिपूर्ण हल निकाले जाने तथा आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों के दीर्घकालीन निर्धारण से देश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का सफल क्रियान्विति से हम विकास के उस चरण में पहुंच जायेंगे, जहां से आर्थिक समृद्धि के द्वार खुल जायेंगे। राज्य के बहुमुखी विकास के महान् कार्य में योगदान करने के लिये मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का तथा समाज के सभी वर्गों का आह्वान करता हूं।

147. इन्हीं शब्दों के साथ, राजस्थान के उज्जवल भविष्य एवं समृद्धि की मंगल कामना करते हुए मैं वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान इस महत् सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं।

जय-हिन्द।